बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

15,नेहरू पथ(बेली रोड), पटना–800001

आयोग कार्यालय में कार्यालय कार्य एवं परीक्षा/साक्षात्कार हेतु मासिक/दैनिक किराये पर अनुबंध के आधार पर भाड़े के वाहन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

आयोग कार्यालय में कार्यालय कार्य एवं विभिन्न परीक्षाओं एवं साक्षात्कार हेतु अनुबंध के अंतर्गत मासिक एवं दैनिक आधार पर भाड़े के वाहन रखने हेतु इच्छुक व्यक्ति/वाहन स्वामी/पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित संक्षिप्त सूचना निम्नांकित है:–

01. आयोग कार्यालय में कार्यालय कार्य एवं परीक्षा/साक्षात्कार हेतु मासिक/दैनिक किराये दर पर विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े वाहन यथा स्वीफ्ट डिजायर, मारूति अर्टिगा, स्कॉर्पियो, इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी एवं समकक्ष व्यवसायिक/वाणिज्यिक निबंधित A.C. वाहन आवश्यकतानुसार निश्चित समय पर उपलब्ध कराया जाना है।
02. इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/फर्म द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 24.01.2024 के अपराह्न 03:00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/डाक/हाथों–हाथ आयोग कार्यालय के पूछताछ शाखा में किसी भी कार्य दिवस को निविदा आवेदन जमा कराया जा सकेगा। प्राप्त निविदा आवेदनों को दिनांक 24.01.2024 के अपराह्न 04:30 बजे आयोग कार्यालय के निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
03. तकनीकी एवं वितीय निविदा आवेदन अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना होगा। निविदा की शेष शर्तें आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर या अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
04. उक्त निविदा से संबंधित जमानत की राशि 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र को बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा।
05. वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से पंजीकृत हो या निविदादाता पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसी होने पर वाहन स्वामी तथा निविदादाता के मध्य भाड़े पर वाहन चलाने हेतु वैद्य समझौता हो।
06. इच्छुक निविदादाता/प्राधिकृत एजेंसी निविदा प्रकाशन के उपरांत दिनांक 18.01.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित Pre-Bid Meeting में भाग ले सकते है।
07. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को किसी भी समय निविदा को संशोधित अथवा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

4/1/24

सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग,पटना।

दूरभाष संख्या–2215187

A. तकनीकी निविदा की शर्तें

01. निविदादाता को अग्रधन (EMD) के रूप में 50,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
02. निविदादाता/फर्म को जीएसटी में निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन जीएसटी रिटर्न की कॉपी संलग्न करने होगे।
03. आधार कार्ड, पैनकार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
04. केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में एवं किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा (Notarized Affidavit)|
05. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
06. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सीलबंद करते हुए लिफाफा के उपर 'बिहार लोक सेवा आयोग में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा' लिखेंगे एवं वितीय निविदा आवेदन प्रपत्र में अलग–अलग वाहनों के लिए अलग–अलग मासिक/दैनिक दर अंकित करते हुए इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सीलबंद करते हुए लिफाफा के उपर बिहार लोक सेवा आयोग में वाहन आपूर्ति हेतु वितीय निविदा लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वितीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालकर निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ/डाक से आयोग कार्यालय के पूछताछ शाखा में किसी भी कार्य दिवस को अंतिम तिथि एवं समय तक निविदा आवेदन जमा कराया जा सकेगा। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।
07. निविदादाता निविदा शर्तों के संबंध में किसी भी बिंदु पर संयुक्त सचिव, वाहन एवं दूरभाष शाखा, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं।

B. वित्तीय निविदा की शर्तें

01. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा आवेदन को खोलने पर विचार किया जायेगा।
02. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को वितीय निविदा प्रपत्र (क) में अलग–अलग वाहनों का मासिक दर 1500 कि0मी0 प्रतिमाह (ईंधन एवं चालक सहित) (Without GST) तथा 1500 कि0मी0 के बाद प्रति कि0मी0 का दर (Without GST) देना होगा। वितीय निविदा प्रपत्र (ख) में दैनिक दर Minimum Chargeable KM Per Day= 100 कि0मी0 के अनुसार तथा 100 कि0मी0 के अतिरिक्त प्रतिकि0मी0 प्रतिदिन (ईंधन एवं चालक सहित) (Without GST) दर अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
03. निविदा के माध्यम से मासिक भाड़े/दैनिक भाड़े पर चयनित L1 एजेंसी/फर्म को Local अथवा OutStation यात्रा हेतु कार्य लिया जायेगा। निविदा में L1 दर का निर्धारण मासिक/दैनिक दर के आधार पर किया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त कि0मी0 का दर L1 उपलब्ध कराने वाले निविदादाता के दर को L1 पर विचार नहीं किया जायेगा, परंतु मासिक/दैनिक किराया दर पर चयनित L1 एजेंसी अतिरिक्त कि0मी0 के भुगतान के योग्य होंगे, जिनका निर्धारण इस निविदा के माध्यम से होगा।

04. चयनित एजेंसी L1 को 10 दिनों के अंदर एकरारनामा करना होगा। यदि चयनित एजेंसी L1 एकरारनामा के शर्तों को पूरा करने में असफल अथवा इंकार करते है तो आयोग कार्यालय को L1 के दर पर चयनित एजेंसी के स्थान पर मासिक/दैनिक किराये पर वाहन लेने हेतु L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा तथा L1 चयनित एजेंसी के EMD की राशि को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई करने का सर्वाधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। प्रपत्रों में निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर, निविदादाता का पता, मोबाईल नं0 सहित के साथ-साथ फर्म का मोहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

05. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

C. अन्य शर्तें

01. चयनित एजेंसी से एकरारनामा प्रारंभ में 02 वर्ष के लिए होगा, जो सामान्य नियमों एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

02. निविदादाता को एक सुपरवाईजर प्रतिनियुक्त करना होगा, जो हमेशा आयोग कार्यालय के संपर्क में रहेंगे जो निश्चित समय/निर्धारित स्थल पर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

03. वाहन आपूर्तिकर्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि एकरारनामा होने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक के विरूद्ध किसी प्रकार का क्रिमिनल केस/पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हो।

04. यदि सेवा की गुणवता असंतोषजनक पायी जाती है या किसी अन्य कारणों से 15 दिन की पूर्व सूचना देकर आयोग कार्यालय द्वारा किये गये एकरारनामा/अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

05. वित्तीय निविदा में चयन के पश्चात् निविदादाता को 10 दिनों के अंदर एकरारनामा करना होगा।

06. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन 2020 से पुराना वाहन नहीं होना चाहिए तथा अच्छी हालत में होनी चाहिए एवं उक्त सभी वाहन में आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण एवं एयर बैग, एबीएस आदि के साथ सुसज्जित होने चाहिए तथा वाहन में मोबाईल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।

07. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय-समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए, जिससे आयोग कार्यालय को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

08. वाहन को आयोग के पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्त्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

09. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PCU, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करना होगा एवं चालकों के लिए वर्दी भी स्वयं के खर्च से उपलब्ध कराना होगा।

10. सामान्य फॉर्मेट में लॉग बुक एजेंसी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा एवं इसे Maintain करना होगा।

11. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि एकरारनामा होने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक के विरूद्ध किसी प्रकार का क्रिमनल केस/पुलिस रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हो।

12. चयनित ऐजेंसी/फर्म को एकरारनामा करना होगा एवं उक्त एकरारनामा अवधि के दौरान आयोग कार्यालय को मासिक/दैनिक किराये पर उपलब्ध वाहन में बार-बार परिवर्तन होने से निविदादाता एकरारनामा रद्द होने की स्थिति में स्वयं जिम्मेवार होंगे।

13. आवश्यकतानुसार शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी वाहन की आवश्यकता हो सकती हैं जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद को निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

15. मासिक/दैनिक किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कलपूर्जों सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा प्रीमियम, सड़क टैक्स आदि सम्मिलित है।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

भाड़े पर वाहन आपूर्त्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वित्तीय निविदा प्रपत्र 'क'
वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)

क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि0मी0 प्रति माह (Without GST)	1500 कि0मी0 के बाद प्रति कि0मी0 दर (Without GST)
01	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी/टाटा हेक्सा एवं समकक्ष (A.C.)	@Rs..........................	@Rs....................
02	स्कॉर्पियो/मारूति अर्टिगा (A.C.) एवं समकक्ष	@Rs..........................	@Rs....................
03	इंडिगो, स्वीफ्ट डिजायर (A.C.) एवं समकक्ष	@Rs..........................	@Rs....................

वित्तीय निविदा प्रपत्र 'ख'
वाहन का दैनिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)
Minimum Chargeable KM Per Day=100KM

क्रमांक	वाहन का विवरण	100 कि0मी0 प्रतिदिन (Without GST)	100 कि0मी0 के बाद प्रति कि0मी0 दर (Without GST)
01	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी/टाटा हेक्सा एवं समकक्ष (A.C.)	@Rs..........................	@Rs....................
02	स्कॉर्पियो/मारूति अर्टिगा (A.C.) एवं समकक्ष	@Rs..........................	@Rs....................
03	इंडिगो, स्वीफ्ट डिजायर (A.C.) एवं समकक्ष	@Rs..........................	@Rs....................

चयन का आधारः– मासिक दर पर 1500KM प्रतिमाह Without GST एवं दैनिक दर पर 100KM प्रतिदिन के संदर्भ में न्यूनतम दर उपलब्ध कराने वाले फर्म को ही L1 माना जायेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर–...................................

निविदादाता का नाम–..

मुहर–...

मोबाईल नं0–...

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम : ....

2. निविदादाता का आवासीय पता : ....
: ....
: ....

3. सम्पर्क फोन/मोबाईल न०:– : ....

4 निविदादाता का आधार न०/पैन न० : ....

5. निविदादाता का G.S.T निबंधन सं० : ....

6. निविदादाता किसी सरकारी कार्यालय द्वारा Black-listed नहीं किये गये हो से संबंधित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) संलग्न करें।: ....

7. अग्रधन राशि का ब्यौरा:–

(क) राशि :– ....

(ख) बैंक ड्राफ्ट सं० एवं तिथि :–..

(ग) बैंक का नाम :–..

8. GST निबंधन प्रमाण–पत्र/ GST भुगतान संबंधित रिटर्न एवं विगत तीन वर्षों का आयकर भुगतान रिटर्न की प्रति संलग्न की गई है की विवरणी:– ....
....

9. सरकारी वाहन विभागों/कार्यालयों में वाहन संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव:–..

घोषणा

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है एवं निविदा की शर्त्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करूँगा/करूँगी। किसी प्रकार की भूल/त्रुटि होने एवं निविदा की शर्त्त के विरूद्ध कार्य सम्पादित करने पर आयोग निविदा रद्द करने एवं अग्रधन की राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। निविदा के उपरांत 10 दिनों के अंदर एकरारनामा/अनुबंध करूँगा/करूँगी।

दिनांक ....

स्थान ....

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर